राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2221 / 2023

सुनील कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान सहकारी सोसायटी जरिये रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर, राजस्थान, नेहरू सहकार भवन, बाईस गोदाम, जयपुर–302005
3. राजस्थान सरकार जरिये कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.08.2023

आदेश की दिनांक : 05.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सीताराम यादव, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में निलम्बन आदेश दिनांक 17.01.2020 (अनुलग्नक–7) का चुनौती दी है। संक्षेप में इस अपील के तथ्य यह रहे हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के समापक के पद पर रहते हुए किये गये कार्य के संदर्भ में एफ.आई.आर. नम्बर 1030 / 2012, पुलिस थाना जे.डी.ए., जयपुर दर्ज की गई जिसमें अपीलार्थी को दिनांक 12.11.2018 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें चालान पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम–3 जयपुर महानगर के समक्ष दिनांक 31.12.2018 को पेश किया। इसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.01.2020 के द्वारा दिनांक 13.11.2018 से निलम्बन माने जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गुणावगुण पर विचार करते हुए अपीलार्थी को निलम्बन से बहाले किये जाने के आदेश पारित किये जा सकते हैं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 22.03.2022 जारी किया गया है। परिपत्र के बिन्दू संख्या डी में अंकित किया कि यदि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध चालान पेश हो जाता है तो उस कर्मचारी को बहाल करने के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे। परन्तु अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रतिवेदन देने के बावजूद भी बहाल नही किया जा रहा है।

2. अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.03.2023 आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से बहाली के संबंध में है। उपरोक्त परिपत्र में दिशा–निर्देश क्रमांक सी व डी अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू होते है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

''C. पुलिस द्वारा पंजीबद्ध गबन, पद का दुरूपयोग कर राजकोष को हानि पहुचाने या पदीय दुरूपयोग संबंधी अन्य आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली

1. गबन, पद का दुरूपयोग कर राजकोष को हानि पहुंचाने या पदीय दुरूपयोग के अन्य आपराधिक प्रकरणों में यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाकर 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो ऐसे लोक सेवक को तत्काल निलम्बित किया जावे।

लोक सेवकों के ऐसे प्रकरणों में यदि सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है, तो उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन सामिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।

2. गबन, पद का दुरूपयोग कर राजकोष को हानि पहुंचाने या पदीय दुरूपयोग के अन्य आपराधिक प्रकरणों में यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार नहीं किया गया है या गिरफ्तारी पर पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 48 घण्टे अथवा इससे कम हो तो

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

D. पुलिस द्वारा पंजीबद्ध अन्य आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली (बिन्दु संख्या B एवं C में अंकित प्रकरणों से भिन्न)

पुलिस द्वारा पंजीबद्ध अन्य आपराधिक प्रकरणों (बिन्दु संख्या B एवं C में अंकित प्रकरणों से भिन्न) में यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जाकर 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो ऐसे लोक सेवक को तत्काल निलम्बित किया जावे।

पुलिस द्वारा पंजीबद्ध अन्य आपराधिक प्रकरणों (बिन्दु संख्या B एवं C में अंकित प्रकरणों से भिन्न) में यदि किसी लोक सेवक को

गिरफ्तार नहीं किया गया है या गिरफ्तारी पर पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 48 घण्टे अथवा इससे कम हो तो प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन/अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलम्बन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे।

ऐसे प्रकरणों में निलम्बित लोकसेवकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय नियम 13(5) के तहत प्रकरण के तथ्यों आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियोजन/अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना, प्रकरण की वर्तमान स्थिति इत्यादि के संबंध में गुणावगुण पर विचार करते हुए निलम्बन से बहाल करने के आदेश जारी किये जा सकते हैं। निलम्बन से बहाली हेतु ऐसे प्रकरणों को पुनर्विलोकन समिति के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।''

3. उपरोक्त परिपत्र में कार्मिक विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रकरण जिसमें लोकसेवक को निलम्बित किया गया है, तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध चालान फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। उपरोक्त परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना यह आदेश दिये जाते हैं कि उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 की पालना में पुनरावलोकन समिति के समक्ष अपीलार्थी के निलम्बन से बहाली के संबंध में प्रकरण को विचारार्थ रखा जाये एवं पुनरावलोकन समिति नियमानुसार उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 की रोशनी में अपीलार्थी के मामले पर गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करेगी।
4. उक्त कार्यवाही के लिए 3 महिने का समय प्रदान किया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)